

संख्या-997 /एक-10-2025-रिट(42)/2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 18-09-2025

विषय:- सिविल मिस रिट याचिका संख्या-29583/2025 श्रीमती सीमा सादात बनाम उ०प्र० राज्य सरकार व 06 अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में स्व० अनवर सादात, सफाई नायक के आश्रितों को ₹० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7947/दौआ०/2021-22 दिनांक 09 जुलाई, 2021 एवं पत्र संख्या-482/दौआ०/2025-26 दिनांक 09 सितम्बर, 2025 तथा पत्र संख्या-491/दौआ०/2025-26 दिनांक 13 सितम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 2- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्य में कार्यरत स्व० अनवर सादात, सफाई नायक, नगर विकास विभाग जनपद-सहारनपुर के आश्रितों को ₹० 50.00 लाख की अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-29583/2025 श्रीमती सीमा सादात बनाम उ०प्र० राज्य सरकार व 06 अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2025 को आदेश पारित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है:-

"1. It is submitted that claim of the petitioner for ex-gratia amount of Rs. 50 lacs on account of death of her husband during Covid period while performing Covid duties though admitted, is not being released.

2. Having regard to the submissions made and the material placed on record, we direct the Chief Secretary, State of U.P. to coordinate between the concerned Secretaries and ensure that payment is made within three weeks or he shall show cause by filing his affidavit.

3. List on 22.09.2025, as fresh.

4. Sri Rajiv Gupta, learned Additional Chief Standing Counsel will communicate the instant order to the Chief Secretary, State of U.P. for necessary compliance."

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्व० अनवर सादात,

सफाई नायक, नगर विकास विभाग, जनपद-सहारनपुर की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक वार्षिक के आश्रितों को ₹0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी0सी0, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-04(जी)/2015-टी0सी0, दिनांक 22.06.2021 एवं शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में वित्तीय वर्ष-2025-26 में ₹0 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, सहारनपुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
2. राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी0सी0 दिनांक 22 जून, 2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में निहित प्राविधानों/शर्तों के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक की इयूटी कोविड-19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुयी है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति करेंगे।
3. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता हैं) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
5. स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में

महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रु0 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 18-09-2025 11:43:33
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-997(1)/एक-10-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग 30प्र0 शासन।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-18/09/2025

प्रेषण संख्या:- 997

आवंटन आदेश संख्या:- 001-997

अनुदान संख्या:-

51 राजस्व विभाग (वैधी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
		वर्तमान	5000000	5000000
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	21200000	21200000
	योग	वर्तमान	5000000	5000000
		प्रगामी	21200000	21200000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ बारह लाख



(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।